**नाबार्ड को ग्रीन क्लाइमेट फंड की प्रथम राष्ट्रीय कार्यान्वयनकर्ता एंटिटी के रूप में मान्यता**

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफ़सीसीसी) के अंतर्गत स्थापित ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ़) की प्रथम राष्ट्रीय कार्यान्वयनकर्ता एंटिटी के रूप में मान्यता दी गई है. नाबार्ड को मान्यता देने का निर्णय 9 जुलाई 2015 को सॉन्गदो, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जीसीएफ़ की बोर्ड मीटिंग के दौरान लिया गया जिसमें नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक श्री आर. अमलोरपवनाथन ने हिस्सा लिया.

राष्ट्रीय कार्यान्वयनकर्ता एंटिटी राष्ट्रीय स्तर की विधिक एंटिटी है जिसे बोर्ड द्वारा स्थापित मानकों के पालन के लिए मान्यता दी गई है. यह एंटिटी ग्रीन क्लाइमेट फंड से वित्तपोषित कार्यक्रमों और परियोजनाओं के समग्र प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी लेती है और सारी वित्तीय, अनुप्रवर्तन संबंधी और रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी इन्हें दी जाती है.

जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यों की गंभीरता और आकस्मिकता को देखते हुए ग्रीन क्लाइमेट फंड का प्रयोजन जलवायु परिवर्तन से संघर्ष कर रहे अंतर-राष्ट्रीय समुदायों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों में महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योगदान करना है. दीर्घकालिक विकास के संदर्भ में यह निधि विकासशील देशों की, खास तौर जलवायु परिवर्तन से शीघ्र दुष्प्रभावित होने वाले देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित या कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अनुकूलता स्थापित करने के लिए उन्हें सहायता देगी ताकि वे कम उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन को सह सकने में सक्षम विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकें.

नाबार्ड ने भारत सरकार की विधिवत् अनुशंसा के साथ ग्रीन क्लाइमेट फंड को आवेदन प्रस्तुत किया था. आवेदन ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा मान्यता देने की तमाम कड़ी प्रक्रियाओं से गुजरा है जो तीन चरणों में पूरी होती हैं. अंततः मान्यता देने के लिए बनाए गए पैनल की अनुसंशा पर ग्रीन क्लाइमेट फंड के बोर्ड ने हमारे आवेदन को मंजूर किया.

नाबार्ड पहले से ही ऐसी परियोजनाओं के लिए सहयोग देता रहा है जिनमें से अधिकांश को जलवायु वित्तपोषण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है. नाबार्ड के संचयी संवितरण में से 28 प्रतिशत से ज्यादा संवितरण ऐसे हैं जो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से वानिकी, कृषि, पशुपालन, भूमि विकास, लघु सिंचाई आदि क्षेत्रों में बहुत सारी परियोजनाएं और घटक ऐसे हैं जिनमें उत्सर्जन में कमी करने की संभाव्यता है.

भारत के लिए एकमात्र राष्ट्रीय कार्यान्वयनकर्ता एंटिटी के रूप में यूएनएफ़सीसीसी के अडाप्टेशन फंड बोर्ड ने नाबार्ड को पहले ही मान्यता दी है. कुल मिलाकर 7.07 मिलियन यूएस डॉलर की पांच परियोजनाएं अडाप्टेशन फंड बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं जिनमें से बोर्ड ने 50 मिलियन यूएस डॉलर के परिव्यय वाली तीन परियोजनाएं अनुमोदित कर दी हैं.

ग्रीन क्लाइमेट फंड के कार्यान्वयनकर्ता एंटिटी के रूप में मान्यता से नाबार्ड भारत में विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन के क्षेत्र में नेतृत्व करेगा. इस मान्यता से नाबार्ड अनुकूलन और शमन दोनों प्रकार की परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से वित्तीय

सहायता प्राप्त कर सकेगा. इस निधि का उपयोग भारत सरकार की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना और राज्य सरकारों की राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में निर्धारित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जा सकेगा. इसके अलावा, गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र सहित निजी क्षेत्र की साध्य परियोजनाओं को भी वित्तपोषित किया जा सकेगा. इस तरह ग्रीन क्लाइमेट फंड से प्राप्त मान्यता नाबार्ड को भारत में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और परियोजनाओं के वित्त पोषण के क्षेत्र में बृहत्तर भूमिका देने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है.